



NOTICE

Subject: Implementation of Aadhaar Based Payment System (ABP) on the SFMP Portal and mandatory updation of Aadhaar and UDID under NFPwD.

Reference: DEPwD letter No. B-17011/2/2025-SCH (e-Computer No. 50297) dated 07.04.2026

All beneficiaries, Universities, and Nodal Officers (Universities) are hereby informed that under the National Fellowship for Persons with Disabilities (NFPwD), **fellowship amount shall be released only through the Aadhaar Based Payment System (ABP) to Aadhaar-seeded bank accounts of the scholar (beneficiaries)** through the Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP) after 01.04.2026.


This decision is taken in accordance with the directions issued by the DEPwD MSJ&E, GoI vide letter dated 07.04.2026 having reference of UGC letter No. F.1-1/2026(SA-I) C.No.174648 dated 01.04.2026.

Accordingly, all beneficiaries are required to complete the following actions immediately for smooth processing of fellowship amount:

- Ensure that their bank account is Aadhaar seeded (linked with Aadhaar)
- Update Aadhaar and UDID on the SFMP Portal till : 15.04.2026.
- Verification by Nodal Officers (University): 20.04.2026

After 20.04.2026 if Aadhaar and UDID are not updated within the stipulated timeline, payment generation on SFMP will be stopped and fellowship amount will not be released.

This notice may be treated most urgent.


09/04/26
Nodal Officer, NFPwD
NDFDC



सूचना

विषय: NFPwD के अंतर्गत SFMP पोर्टल पर आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) का कार्यान्वयन तथा आधार एवं UDID का अनिवार्य अद्यतन।

संदर्भ: DEPwD पत्र संख्या B-17011/2/2025-SCH (e-Computer No. 50297) दिनांक 07.04.2026

सभी लाभार्थियों, विश्वविद्यालयों एवं नोडल अधिकारियों (विश्वविद्यालय) को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन फेलोशिप योजना (NFPwD) के अंतर्गत फेलोशिप राशि 01.04.2026 के पश्चात केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) के माध्यम से, लाभार्थियों के आधार-सीडेड बैंक खातों में स्कॉलरशिप एवं फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल (SFMP) के माध्यम से ही जारी की जाएगी।

यह निर्णय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.04.2026 (जिसमें UGC पत्र संख्या F.1-1/2026(SA-I) C.No.174648 दिनांक 01.04.2026 का संदर्भ दिया गया है) के निर्देशों के अनुसार लिया गया है।

तदनुसार, सभी लाभार्थियों को फेलोशिप राशि के सुचारु प्रसंस्करण हेतु निम्नलिखित कार्य तत्काल पूर्ण करना आवश्यक है:

- यह सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से सीडेड (आधार से लिंक) हो।
- SFMP पोर्टल पर आधार एवं UDID को दिनांक: 15.04.2026 तक अद्यतन करें।
- नोडल अधिकारियों (विश्वविद्यालय) द्वारा सत्यापन: 20.04.2026 तक।

यदि 20.04.2026 के पश्चात निर्धारित समय-सीमा के भीतर आधार एवं UDID अद्यतन नहीं किया जाता है, तो SFMP पर भुगतान जनरेशन रुक जाएगी तथा फेलोशिप राशि जारी नहीं की जाएगी।

इस सूचना को अत्यंत आवश्यक माना जाए।


नोडल अधिकारी, NFPwD
NDFDC